रजिस्ट्री सं० डी. 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 1965/श्रावण 6, 1887

No. 92] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 1965/SRAVANA 6, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

TARIFFS

New Delhi, the 28th July 1965

No. 5-TG(4)/60.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the United Kingdom—India Trade Agreement Rules, 1939, namely:—

1. These rules may be called the United Kingdom—India Trade Agreement (Amendment) Rules, 1965.

2. In the First Schedule to the United Kingdom—India Trade Agreement Rules, 1939, item No. 4 and the entry relating thereto shall be omitted.

D. N. BANERJEE, Jt. Secy.

वाणिज्य मन्त्रालय

अधिसूचना

प्रशुल्क

नई दिल्ली, 28 जुलाई 1965

सं० 5-टी०जी० (4)/60—भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 के 32 वें), की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई, केन्द्रीय सरकार ब्रिटेन-भारत व्यापार करार नियम, 1939 में और संशोधन करने के लिये नीचे लिखे नियम बनाती हैं :—

1. ये नियम ब्रिटेन-भारत व्यापार करार (संशोधन) नियम 1965 कहे जायेंगे ।

2. ब्रिटेन-भारत व्यापार करार नियम, 1939 की प्रथम अनुसूची में दिये हुए मदें सं० 4 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टि को छोड़ दिया जायेगा ।

डी० एन० बनर्जी,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965